प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 30/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने" पर अनुशंसाए जारी कीं है।

नई दिल्ली, 31 मार्च 2023- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने" पर अपनी अनुशंसाए जारी की हैं।

2. भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2017 तक देश भर में पूरा हो गया। इसने मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय निर्माताओं के विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया। भारत सरकार ने हाल ही में 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलें शुरू की हैं और भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

3. उपकरण निर्माण में भारत की वास्तविक क्षमता का वास्तविक आकलन करने और सरकार को वो अनुशंसाए प्रदान करने के लिए जो भारतीय प्रसारण उपकरण निर्माण क्षेत्र को आयात-निर्भर क्षेत्र से स्वदेशी विनिर्माण के वैश्विक केंद्र में परिवर्तित करने में सक्षम बनाएँगे, इन उद्देश्य से प्राधिकरण ने सभी हितधारकों की टिप्पणी प्राप्त करने के लिए दिनांक 22-12-2021 को "टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना" पर स्व-प्रेरणा से एक परामर्श पत्र जारी किया है। टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19-01-2022 और प्रति-टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, 02-02-2022 तक थी, जिसे हितधारक के अनुरोध पर क्रमशः 09-02-2022 और 23-02-2022 तक बढ़ाया गया था। भादूविप्रा को हितधारकों से 16 टिप्पणियां और 01 प्रति टिप्पणी प्राप्त हुई, जो भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में दिनांक 28-04-2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित किया गया।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों और मुद्दों के आगे के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने नीचे दी गई अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है:

क. उभरती प्रौद्योगिकियों और अभिसरण के युग के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रसारण उपकरणों के लिए एक इको-सिस्टम बनाने का लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। प्रसारण उपकरणों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा सकता है या प्रसारण उपकरणों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का उन्नयन किया जा सकता है।

ख. टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टीईपीसी) या कुछ इसी तरह के संगठन को स्थानीय रूप से निर्मित प्रसारण उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम करें।

ग. दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग को सभी प्रसारण उपकरणों के परीक्षण और मानकीकरण के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

घ. सी-डॉट जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को मजबूत करना। पीपीपी मार्ग के माध्यम से उद्योग की भागीदारी के साथ-साथ स्थानीय अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। प्रसारण क्षेत्र के लिए स्थानीय उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 'प्रौद्योगिकी विकास निधि' सृजित करें। नीय सीएएस के उपयोग को प्रोत्साहित करें, अनुसंधान एवं विकास और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उपायों के परिणामों की समीक्षा करें!

ङ. स्थानीय अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित उत्पादों के लिए गो टू मार्केट रणनीति भी अपनाई जा सकती है

च. लीनियर सेट-अप बॉक्स को पीएलआई योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

छ. चिपसेट सहित प्रसारण उपकरण के लिए आवश्यक स्वदेशी घटकों की उपलब्धता की समय-समय पर समीक्षा करें। पीएलआई योजना के तहत स्थानीयकरण स्तर निर्धारित करते समय स्थानीय घटकों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश परिव्यय की समीक्षा एमएसएमई द्वारा समय-समय पर पहचाने जा सकने वाले कुछ चयनित उपकरणों के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से करें।

ज. सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की तर्ज पर टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के अन्य प्रासंगिक घटकों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना।

झ. स्थानीय रूप से प्राप्त घटकों/सेवाओं के प्रतिशत के संदर्भ में टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न उपकरण श्रेणियों के लिए 'स्थानीय विनिर्माण' के दायरे को परिभाषित करें।

ञ. टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण पर उनके प्रभाव के संबंध में एफटीए और ऐसे समझौतों की समीक्षा करें।

5. अनुशंसाओं का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष संख्या: -+91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा